कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 413/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.11.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक-19.11.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट दिनांक-19.11.2025
थाना कोतवाली, जनपद – आज़मगढ़

➡️ शातिर सक्रिय, 25000 रुपए का इनामिया अपराधी पिन्टू उर्फ अशोक पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार।

➡️ अभियुक्त के विरुद्ध जनपद वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ सहित कई अन्य जनपदों में लूट, छिनैती, चोरी, गैंगेस्टर एवं अन्य गंभीर अपराधों में मुकदमा दर्ज है।

➡️ अवैध असलहा, कारतूस, मोटरसाइकिल व छिनैती के सोने की चेन बरामद।

दिनांक 19.11.2025 को समय लगभग 00:29 बजे थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मोहती घाट मेन रोड तिराहा के पास चेकिंग एवं रात्रि गश्त के दौरान एक शातिर अपराधी से मुठभेड़ हुई। पुलिस कार्रवाई में अभियुक्त पिन्टू उर्फ अशोक, निवासी भिटारी थाना लोहता जनपद वाराणसी के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ सहित कई अन्य जनपदों में लूट, छिनैती, चोरी, गैंगेस्टर एवं अन्य गंभीर अपराधों में मुकदमा दर्ज है।

घटना का विवरण-
चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दिनांक 08.11.2025 को कोलबाजबहादुर क्षेत्र में हुई चैन-छिनैती में शामिल अपराधियों में से एक अवैध असलहे के साथ मोहती घाट के पास अंधेरे में छिपा हुआ है और शहर में बड़ी घटना करने की फिराक में है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा रणनीतिक घेराबंदी की गई। कुछ देर बाद मोहती घाट की तरफ से आ रही एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर सवार व्यक्ति ने पुलिस को देखते ही वापस मुड़कर भागने की कोशिश की तथा वाहन फिसलकर गिर गया। अभियुक्त द्वारा अपने आप को घिरता देख पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से लगातार दो फायर किया गया।आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई नियंत्रित फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा।अभियुक्त को घायल अवस्था में उपचार हेतु जिला अस्पताल आज़मगढ़ भेजा गया।

गिरफ्तार अपराधी का विवरण-
01. पिन्टू उर्फ अशोक, पिता: स्व. रामकिशुन, निवासी: ग्राम भिटारी, थाना लोहता, जिला वाराणसी, उम्र: लगभग 25 वर्ष।

वांछित मुकदमे:-
01. मु0अ0सं0 583/2025, धारा 304(2)/317(2) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ साथ ही कई जनपदों में 10 से अधिक गंभीर मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं।

आपराधिक इतिहास-

पिन्टू उर्फ अशोक पुत्र रामकिशुन निवासी भिटारी थाना लोहता जनपद वाराणसी(25000 रुपए का इनामिया)

1. मु0अ0सं0 456/2016 धारा 379/411 भादवि थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज
2. मु0अ0सं0 2131/2015 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 1609/2016 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 106/2016 धारा 394/411 भादवि थाना सिगरा जनपद वाराणसी
5. मु0अ0स0 455/2024 धारा 304/304(2)/317(2) बीएनएस थाना भेलुपुर जनपद वाराणसी
6. मु0अ0स0 370 2017 धारा 147 149 332 427 436 भादवि 7 सीएलए, 34 लो.स.क्ष.नि. अधि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
7. मु0अ0सं0 1891/2015 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
8. मु0अ0सं0 670/2009 धारा 379 भादवि थाना सिगरा जनपद वाराणसी
9. मु0अ0सं0 3167/2009 धारा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
10. मु0अ0सं0 3381/2009 धारा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
11. मु0अ0सं0 583/2025, धारा 304(2)/317(2) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
12. मु0अ0सं0 610/25 धारा 109(1), 318(4), 336(3), 340(2), 304(2), 317(2) BNS व 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया कि दिनांक 08.11.2025 को वृद्ध महिला की चैन छीनने की वारदात उसने अपने साथी विशाल उर्फ बाबू बीडी के साथ की थी।

बरामदगी-

मौके से निम्नलिखित सामान बरामद हुआ —

01. एक अदद मोटरसाइकिल (चेसिस व नंबर प्लेट परिवर्तित/फर्जी)
02. एक अदद तमंचा .315 बोर
03. दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर
04. एक अदद सोने की चेन (थाना कोतवाली में लूटी गई थी)

➡ फोरेंसिक टीम द्वारा तमंचे, कारतूस, खूनालुदा मिट्टी, फिंगरप्रिंट व हैंडस्वैब सहित सभी साक्ष्य संग्रहित कर सील किए गए।

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
02. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
03. उ0नि0 यश सिंह पटेल, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
04. उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
05. हे0का0 सर्वेश विक्रम, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
06. का0 मार्तण्ड कुमार , थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
07. का0 रोहित शर्मा , थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ।
08. का0 बसन्तलाल, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
09. का0 हीरालाल, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
10. का0 संदीप विश्वकर्मा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।